राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	612/24 लक्ष्मण बनाम कृष्णा कँवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1056/24 गणेश सिंह बनाम कृष्णा कँवर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/10/25	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/10/2025 को पेश हो |	
10/10/25	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रोपर तामील करवाये बगैर एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2018 पारित की गयी एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27-09-2022/23-09-2022 पारित की गयी | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी लक्ष्मण एवं गणेश द्वारा पृथक-पृथक दो अपीले इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया | दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा मुख्य आपत्ति यही जाहिर की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके के विपरित अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है एवं अपीलार्थी को जो भूमि अन्तिम डिक्री के माध्यम से प्रदान की गयी है, उसमे आने-जाने हेतु कोई रास्ता प्रदान नही किया गया है | इसके प्रतिउत्तर में रेस्पो. का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तामील उपरान्त समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत विभाजन की अपीलाधीन डिक्री पारित की गयी है | उद्धरित तथ्यों के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात एवं अन्तिम डिक्री अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्ति उचित प्रतीत होती है | विभाजन हेतु निर्धारित विधिक प्रावधानों के अनुसरण में मौके पर पक्षकारान के कब्जे को ध्यान में रखते हुये एवं विभाजन में दी जाने वाली भूमि तक पहुंच हेतु रास्ते की सुनिश्चितता करते हुये व अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स) विभाजन किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27-09-2022/23-09-2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुन: कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मण बनाम कृष्णा कँवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गणेश सिंह बनाम कृष्णा कँवर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार दोनों अपीले क्रमशः 612/2024 व 1056/2024 स्वीकार की जाती है।

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर